रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08022024-251950 SG-DL-E-08022024-251950

> असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2024/माघ 19, 1945	[रा.रा.से.दि. सं. 423
No. 53]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2024/MAGHA 19, 1945	[N. C. T. D. No. 423

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 फरवरी, 2024

फा.सं. 2(2)/स्था./पुरातत्व/2023/224.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 27/11/1987 की अधिसूचना संख्या फा0 4(9)/86–मोनू द्वारा प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'मॉडलर' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) इन नियमों को पुरातत्व विभाग, मॉडलर भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :

उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यताः

वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :

जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को छूट दे सकती है।

6. बचावः

इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आय्–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

1.	पदनाम	:	मॉडलर
2.	पदों की संख्या	:	01* (2024)
			* परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	स्तर—5 (रुपये 29200—92300)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष* के बीच
			*यदि अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
			टीप 1 :– आयु–सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड⁄सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
			टीप 2 :– केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु–सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य : किसा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला में स्नातक उपाधि।
			टीप : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू	:	लागू नहीं

अनुसूची

2

[PART IV

	होगी		•
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति	:	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती
			द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है।	:	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) : केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वैधानिक या स्वायत्त निकायों/मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 या समकक्ष के पदों में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित।
			तथा (ख) कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले। टीप : प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	विभागीय स्थायीकरण समिति : 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. सचिव (क0,सं०एवंभा०/पुरातत्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. उप–सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य टीप : यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	स्थायाकरण सामात को वारष्ठतम सदस्य अध्यक्ष क रूप न फाय करेगा। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।
	1		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चोखा राम गर्ग, सचिव

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY NOTIFICATION

Delhi, the 8th February, 2024

F. No. 2(2)/Estt./Archy./2023/224.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the notification of this Government, published vide notification No. F.4(9)/86-Monu. dated 27/11/1987 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Modeller' in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement.

(1) These rules may called the Department of Archaeology, Modeller Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

3

2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix.

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications.

No persons, -

- (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

	SCHEL	DULE	
١.	Name of Post.	Modeller	
2.	Number of Posts.	01 * (2024) *Subject to variation dependent on workload	
3.	Classification.	General Central Service Non Ministerial, Non- Gazetted, Group C	
4.	Pay Level in the Pay Matrix.	Level-5 (Rs. 29200-92300)	
5.	Whether Selection Post / Non-Selection Post.	Not applicable	
6.		Between 18 years and 25 years*	
0.	Age limits for Direct Recruits.	*In case of post being filled up by All India Competition, it would be – between 18 years and 27 years.	
		Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority.	
		Note 2 : The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Essential : Bachelors Degree in Fine Arts from a recognized University. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	
8.	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	Not applicable	

SCHEDULE

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

9.	Period of Probation if any.	Two years for direct recruits.
10.	Method of Recruitment.	By deputation (ISTC) failing which by dire recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Deputation (ISTC) : Officers from the Central Government/ Sta Governments/ Union Territory Administration Public Sector Undertakings/ Statutory Autonomous Bodies/ Recognized Universitie Recognized Research Institutes : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts i Level-4 in the Pay Matrix or equivalent in the parent (b) possessing the educational qualification prescribed in Column 7. Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not exceeding 56 years, as on the
12. If a Departmental I	If a Departmental Promotion Committee	closing date of receipt of the application. Departmental Confirmation Committee:
	exists, what is its composition.	1. Principal Secretary/ Secretary (Power), GNCT of Delhi : Chairperson
		2. Secretary (ACL/ Archaeology), GNCT of Delhi Member
		3. Deputy Secretary (Finance), GNCT of Delhi Member
		Note : Senior most member of the Departmenta Confirmation Committee for considerin confirmation shall act as Chairperson in case th notified chairperson of the Committee happens to b junior to another member of the Committee.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary

By Order and in the Name of Lieutenant Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

CHOKHA RAM GARG, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.